प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक **367/2002**

अपीलार्थीगण:	1. अखिलेश कुमार, पिता सी. प्रेम बाग, 29 वर्ष 2. शैलेश उर्फ शैलेश कुमार, पिता सी. प्रेम बाग, 22 वर्ष। 3. कमलेश पिता स्व. सी. प्रेम बाग, 27 वर्ष। 4. राजेश, पिता सी. प्रेम बाग, 25 वर्ष 5. सुरेश, पिता सी. प्रेम बाग, उम्र लगभग 20 वर्ष सभी निवासी ग्राम कस्तूरी, गुडापारा, पुलिस थाना नगर नार, जिला - बस्तर (छ.ग.)
विरुद्ध	
उत्तरवादी	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जगदलपुर, जिला- बस्तर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता **1973,** धारा **374 (2)** के तहत दाण्डिक अपील**)**

अपीलार्थीगण	श्री प्रफुल्ल भारत, अधिवक्ता
	श्री अखिल मिश्रा,, पैनल अधिवक्ता राज्य की ओर से

(खंड न्यायपीठ)

माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

निर्णय

(दिनांक **- 24** सितम्बर**, 2007** को पारित**)**

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा**,** न्यायमूर्ति

1. चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर (बस्तर) द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 6/2001 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के दिनांक 11 मार्च, 2002 के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत सभी अपीलकर्ताओं को धारा 302/149 भ.द.स. में आजीवन कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है, जुर्माना न भरने पर 6 महीने के लिए समक्ष कारावास काटनी होगी। इसके अलावा अपीलकर्ता नंबर 1, 3, 4 और 5 को भी धारा 147 भ.द.स. के तहत सिद्धदोष पाया गया है और 2 साल के लिए सश्रम कारावास की सजा भुगतने और 100/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है, जुर्माना न चुकाए जाने के व्यतिक्रम पर 1 महीने के लिए सश्रम कारावास काटने की सजा सुनाई गई है और

अपीलकर्ता नंबर 2 को धारा 148 भ.द.स. के तहत सिद्धदोष पाया गया है और 3 साल के लिए सश्रम कारावास की सजा भुगतने और 200/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है, जुर्माना न भरने पर 2 महीने के लिए सश्रम कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई है। संबंधित सजाओं को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

2. आरोप यह है कि 6.11.2000 को दोपहर लगभग 12 बजे कालीचरण अपने नौकर गोपालू के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने चाचा यिशुचरण के खेत में धान की फसल लेने जा रहा था। रास्ते में लाठी-डंडों और टंगिया से अभियुक्तों ने उस पर हमला कर दिया। उसे कई चोटें आईं और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रकरण का प्रतिवेदन यिसुचरण (अ.सा -1) ने पुलिस स्टेशन- नगरनार में (प्रदर्श पी.01) के तहत की थी। अन्वेषण अधिकारी घटना देखने के लिए रवाना हुआ, प्रदर्श पी.02 के तहत मर्ग सूचना दर्ज की और प्रदर्श पी.17 के तहत पंचों को सूचना दी, (प्रदर्श पी.03 के तहत मृतक के मृत्यु समीक्षा तैयार की और शव को शव परीक्षरण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नगरनार भेज दिया। प्रदर्श पी.04 के तहत स्थल नक्शा तैयार किया गया था। अन्वेषण के दौरान, आरोपी शैलेश उर्फ शैलेश कुमार को हिरासत में लेने के बाद, उन्होंने प्रदर्श पी.05 के तहत उसका कथन दर्ज किया, जिसके अनुसरण में प्रदर्श पी.06 के तहत उसके कब्जे से टांगिया जब्त किया गया; आरोपी अखिलेश का कथन प्रदर्श पी.08 के तहत दर्ज किया

गया, जिसके अनुसरण में प्रदर्श पी.09 के तहत उसके कब्जे से डंडा जब्त किया गया अभियुक्त कमलेश का कथन प्रदर्श पी.10 के तहत दर्ज किया गया और एक डंडा प्रदर्श पी.13 के तहत जब्त किया गया; अभियुक्त राजेश कुमार का कथन प्रदर्श पी.11 के तहत दर्ज किया गया और एक डंडा प्रदर्श पी.14 के तहत जब्त किया गया; अभियुक्त सुरेश का कथन प्रदर्श पी.12 के तहत दर्ज किया गया और प्रदर्श पी.15 के तहत एक डंडा ज़ब्त किया गया। घटनास्थल, जिसे "विलसन का मरहान" (विलसन की बंजर भूमि) कहा जाता है,प्रदर्श पी.07 के तहत सादी मिट्टी और खून से सनी मिट्टी भी ज़ब्त की गई। डॉ. सुजीत विश्वास (अ.सा -11) ने शव परीक्षण किया और प्रदर्श पी.20 के तहत अपनी शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें देखीं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i). गर्दन के पिछले हिस्से पर बीच में 6 x 6 x 8 सेमी और 6 x 7 x 8 सेमी के दो चाकू के घाव (छेदन)। मांसपेशियों, त्वचा, कशेरुकाओं (दूसरी-तीसरी ग्रीवा कशेरुका के बीच का स्थान), रीढ़ की हड्डी, बड़ी और छोटी वाहिकाओं (धमनियों और शिराओं) (कैरोटिड वी. + ए.) में कटने के निशान थे।

ii) बाएं कंधे के बाईं ओर 3 x 2 x 2 सेमी आकार का घाव।

iii) बाएं कंधे के सामने 8 x 8 x 3 सेमी आकार का घाव।

iv) दाहिने अग्रबाहु के मध्य भाग पर, कलाई से 8 सेमी ऊपर खरोंच - (ए) आकार 4 x 4 सेमी और (बी) 3 x 2 सेमी।

v) बाएं पैर के सामने (घुटने के नीचे) घर्षण, आकार 3 x 2 सेमी.

उनके अनुसार, चोट संख्या 1, 2, 3 और 5 मृत्यु-पूर्व थीं, जबकि चोट संख्या 4 मृत्यु-पश्चात की थी। चोट संख्या 1, 2 और 3 किसी नुकीली वस्तु से लगी थीं, जबकि अन्य चोटें मृत्यु-पश्चात जांच से 6 से 12 घंटे पहले किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी थीं। उन्होंने अपनी राय दी कि मृत्यु का कारण रीढ़ की हड्डी के C2, C3 स्तर पर कटने और अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप न्यूरोजेनिक शॉक के कारण सदमा और दम घुटना था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) आगे की अन्वेषण में, ज़ब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए .प्र.-पी/25 के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जहाँ से एक रिपोर्ट प्र.-पी/27 प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के कपड़ों पर खून के धब्बे पाए गए , आरोपी शैलेश के कब्जे से खून के धब्बे वाली मिट्टी और कुल्हाड़ी बरामद की गई, जबकि सादे मिट्टी पर खून के धब्बे नहीं पाए गए।

(5) सामान्य अन्वेषण पूरी होने के बाद, आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर के न्यायालय में दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर को सौंप दिया, जहां से इसे चतुर्थ अतिरिक्त

सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर के न्यायालय द्वारा स्थानांतरित कर प्राप्त किया गया, जहां विचारण किया गया।

(6 अभियोजन पक्ष ने अपना प्रकरण साबित करने के लिए 13 गवाहों का परीक्षण किया। अभियुक्तगण के बयान धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में उनके खिलाफ पेश की गई सामग्री से इनकार किया और झूठे आरोप लगाने का तर्क दिया। बचाव पक्ष ने 6 गवाहों का परीक्षण किया, विशेष रूप से अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक किया। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि तीन चक्षुदर्शी साक्ष्यों गोपालू (अ.सा -2), महेश (अ.सा -5) और योगेंद्र (अ.सा -6) की गवाही पर आधारित है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने …….. कि तीनों चक्षुदर्शी साक्ष्यों की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद है और अभियुक्तों द्वारा दी गई अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक स्वीकार्य नहीं है।

(8) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रथमतः यह तर्क दिया कि तीन प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही विश्वसनीय नहीं है और उनकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती। उन्होंने दूसरी तर्क यह दी कि विवादित

खेत पर अपीलकर्ताओं का स्थायी कब्ज़ा था, जिस पर उनकी कच्ची फसल खड़ी थी, और अभियोजन पक्ष के अनुसार, जैसे ही परिवादी पक्ष ने फसल की कटाई शुरू की, अपीलकर्ताओं को अपनी संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था, जिसका प्रयोग केवल अपीलकर्ता शैलेश ने किया और अन्य अपीलकर्ताओं पर झूठा फँसाया गया। अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि अन्यत्र उपस्थिति के बचाव को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है।

(9) इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा विचारण न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(11) अ.सा.02, गोपालू ने यह बयान दिया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब वह मृतक कालीचरण के साथ बैलगाड़ी पर जा रहा था, रास्ते में आम के पेड़ के पास आरोपीगण आये और उन्होंने कालीचरण पर डंडे से हमला किया, उसके बाद आरोपी शैलेश ने उस पर टंगिया से हमला किया और यह सब देखकर वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कालीचरण का शव बैलगाड़ी के नीचे पड़ा था। उसकी गर्दन पर 3 चोटें थीं और उसके कंधे पर भी

टंगिया की चोट थी। उसने पैरा-2 के माध्यम से विशेष रूप से यह बयान दिया है कि शैलेश ने टंगिया से कालीचरण पर हमला किया था और अन्य आरोपियों ने उस पर डंडे से हमला किया था। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि मृतक कालीचरण यिशुचरण का पुत्र था। उनकी परीक्षण के पैरा-10 में, उन्हें पुलिस द्वारा दिया गया बयान दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरोपी व्यक्ति झाड़ियों से बाहर आए थे, जो उन्होंने न्यायालीन कथन बयान में नहीं कहा था, इसके अलावा, उनकी प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं पेश किया गया है, जिससे उनकी गवाही को अविश्वसनीय ठहराया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) अ.सा.-5, महेश अन्य चक्षुदर्शी साक्ष्य है, जिसने गवाही दी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, यानी 6 नवंबर 2000 को दिन में लगभग 11:30-12 बजे, वह योगेंद्र और धर्मेंद्र के साथ गाँव की एक पुलिया पर बैठा था। उस समय कालीचरण और गोपालू बैलगाड़ी लेकर खेत की ओर जा रहे थे। अचानक शैलेश और उसके चार भाइयों (जिनके नाम वह नहीं जानता) ने कालीचरण पर डंडे से और शैलेश ने टंगिया से हमला कर दिया। उसने स्पष्ट रूप से गवाही दी है कि आरोपीगण घटनास्थल पर एकत्रित हुए और आरोपी पर हमला करने के बाद घटनास्थल से भाग गए। अपने बयान के पैरा-3 में, उन्होंने हमले के तरीके के बारे में बयान दिया है और कहा है कि उन्होंने और योगेंद्र ने यिसुचरण और विश्वास को घटना के बारे में बताया था। पैरा-7 के अनुसार

प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने कहा है कि यिसुचरण और विश्वास विल्सन (विलसन का मरहान) की रेगिस्तानी भूमि के पास थे और उन्होंने उस स्थान पर कहानी सुनाई थी। पैरा-14 में, उन्होंने स्वीकार किया है कि मृतक का शव विल्सन की रेगिस्तानी भूमि में पड़ा था। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि जब घटनास्थल विल्सन की रेगिस्तानी भूमि थी और शव भी वहीं पड़ा था, तो इस गवाह का यह कथन कि "वह यिसुचरण और विश्वास को कहानी सुनाने गया था, जो विल्सन की रेगिस्तानी भूमि के पास उनसे मिले थे" झूठा प्रतीत होता है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता क्योंकि यह संभव है कि वे कुछ समय बाद विल्सन के रेगिस्तानी इलाके के पास उनसे मिले हों और यह अपने आप में उनकी गवाही को अविश्वसनीय नहीं बनाता। घटनास्थल के पास या किसी अन्य स्थान पर यिसूचरन और विश्वास से उनकी मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उनकी गवाही को परिसाक्ष्य किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) योगेंद्र (अ.सा -6) ने यह भी गवाही दी है कि जब वह अपने दोस्तों महेश (अ.सा -5) और धर्मेंद्र के साथ दिन में करीब 11.30-12 बजे बैठा था, तो उसने देखा कि कालीचरण बैलगाड़ी से खेत की तरफ जा रहा था, रास्ते में पुलिया के पास झाड़ियां हैं, जहां से अखिलेश, सुरेश, राजेश और कमलेश नाम के आरोपी डंडे से सशस्त्र होकर आए और उन्होंने कालीचरण पर हमला कर

दिया। इसके बाद जब कालीचरण गिर गया तो शैलेश ने उस पर टंगिया से हमला कर दिया, जिससे उसे गर्दन के दोनों तरफ और बाएं कंधे पर चोटें आईं। उसने आगे गवाही दी है कि इसके बाद वे केदार मसीह के पास गए और उसे कहानी बताई और केदार मसीह के अलावा उन्होंने किसी और को कहानी नहीं बताई थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में उसने गवाही दी है कि उक्त तिथि को वह गांव में था क्योंकि गांव में क्रिकेट मैच था। मैच शुरू होने का निर्धारित समय दोपहर 12 बजे था, लेकिन गाँव में एक हत्या होने के कारण मैच रद्द कर दिया गया। नगर नार के छात्र दोपहर 12 बजे मैच खेलने आए थे और जब वे उसके घर में थे, तो उसका भाई निर्मल आया और बोला कि चूँकि हत्या गाँव में हुई है, इसलिए खेल नहीं होगा। यह तर्क दिया गया कि चूँकि इस गवाह ने स्वीकार किया है कि वह घर में था और उसके भाई ने आकर उसे बताया था, इसलिए उसने घटना नहीं देखी। यह भी तर्क दिया गया कि उसने गवाही दी है कि वे गए थे और केदार मसीह को कहानी सुनाई थी और उन्होंने यह कहानी किसी और को नहीं बताई थी, इसलिए या तो महेश का कथन सही है, जो कहता है कि कहानी उसने यिशुचरण को बताई थी, या उसका कथन सही है, जो कहता है कि कहानी केदार मसीह को बताई गई थी और किसी और को नहीं। पहली बात यह है कि उसके भाई ने उसे बताया था कि गाँव में एक हत्या हुई है, प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे हत्या के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बारे में कब पता चला? अपने भाई के प्रकटीकरण से या फिर उसे हत्या के बारे में पता था और भाई ने ही कहा और बताया कि हत्या के कारण और भाई ने केवल इतना कहा और बताया कि हत्या के कारण मैच नहीं होगा। यदि पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद (अलग से नहीं) उनके इस कथन का सरल अर्थ लगाया जाए, तो ऐसा प्रतीत होगा कि उनके भाई ने उन्हें केवल इतना बताया था कि गाँव में हुई मृत्यु के कारण वे मैच नहीं खेलेंगे। कहानी के प्रकटीकरण के तथ्य के बारे में विरोधाभास है। महेश ने बताया कि उसने और योगेंद्र ने यिशुचरण और विश्वास को कहानी बताई थी और इस गवाह का कहना है कि उन्होंने केदार मसीह को कहानी बताई थी। लेकिन केवल इस विरोधाभास के आधार पर, उनके संपूर्ण साक्ष्य, जो स्वाभाविक और उचित प्रतीत होते हैं, पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। यह स्थापित सिद्धांत है कि ऐसे छोटे-मोटे विरोधाभास, जो मामले की जड़ तक नहीं जाते और जो किसी गवाह की संपूर्ण विश्वसनीयता को परिसाक्ष्य नहीं करते, ऐसे गवाहों की गवाही पर अविश्वास करने के लिए अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। यदि गवाह के संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर उसकी गवाही उचित और विश्वसनीय प्रतीत होती है और न्यायालय का विश्वास जगाती है, तो न्यायालय उनकी ऐसी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बना सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि योगेंद्र (अ.सा.-6) ने गवाही दी कि उसने गोपालू को भी देखा था, इसलिए उस पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। यह एक चूक हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चूक ऐसी प्रकृति की है कि इस गवाह की पूरी गवाही को खारिज कर दिया जाए? हमारी सुविचारित राय में, केवल इस आधार पर कि इस गवाह ने यह नहीं कहा है कि गोपालू भी कालीचरण के साथ वहाँ था, इस बिंदु पर प्रभावी प्रतिपरीक्षण के अभाव में, उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। यह चूक इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जो मामले की जड़ तक जाती है और अभिलेख में मौजूद अन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतक के साथ आए व्यक्ति के रूप में गोपालू का नाम न लेने से इस मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) अतः, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि ये तीनों चक्षुदर्शी विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि वे भौतिक तथ्यों पर एक-दूसरे का खंडन कर रहे हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में, चक्षुदर्शी तात्विक तथ्यों पर खंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके विपरीत, वे तात्विक तथ्यों, अर्थात् सभी अभियुक्तों द्वारा किए गए हमले के तथ्य पर एक-दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं, और उनके साक्ष्य में ऊपर उल्लिखित मामूली विरोधाभासों के आधार पर, उनकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता।

(15) जहां तक संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का संबंध है, यह तर्क अभियुक्तों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं ली गई थी। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि तर्क नहीं ली गई थी, तो भी इसे अपील में उठाया जा सकता है। उन्होंने काशी राम और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**,** एआईआर **2001** एससी **2902** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 105 सबूत के भार के संबंध में एक नियम बनाती है, लेकिन इससे यह अनुसरण नहीं होता है कि निजी प्रतिरक्षा की तर्क को विशेष रूप से लिया जाना चाहिए और यदि नहीं लिया गया है तो प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विचार करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रतिपरीक्षरण में या धारा 313, सीआरपीसी के तहत दर्ज अभियुक्तों के बयान में ऐसी तर्क पेश करके या बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करना। और, भले ही तर्क इन तीनों में से किसी एक तरीके से पेश न की गई हो, फिर भी मामले में मौजूद संभावनाओं और परिस्थितियों पर अवलंब करके इसे प्रस्तुतीकरण के दौरान उठाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय ने बिशना उर्फ भिस्वदेव महतो एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**, (2005) 12** एससीसी **657** के प्रकरण में यह टिप्पणी की है।

74. "निजी प्रतिरक्षा का अधिकार" परिभाषित नहीं है। दंड संहिता की धारा 96 के अनुसार कोई भी कार्य अपराध नहीं है, यदि वह निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। धारा 97 निजी प्रतिरक्षा की विषय-वस्तु से संबंधित है। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिवचन शरीर या संपत्ति को शामिल करता है। हालाँकि, यह न केवल अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति पर लागू होता है; बल्कि किसी अन्य व्यक्ति पर भी लागू होता है। शरीर के विरुद्ध किसी भी अपराध के मामले में और संपत्ति से संबंधित चोरी, डकैती, उत्पात या आपराधिक अतिचार और ऐसे अपराधों के प्रयास के प्रकरण में इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। धारा 96 और 98 कुछ अपराधों और कृत्यों के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती हैं। धारा 99 इसके लिए सीमा निर्धारित करती है। धारा 96 से 98 और 100 से 106 के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार धारा 99 द्वारा नियंत्रित होता है। दंड संहिता की धारा 99 के अनुसार, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, किसी भी स्थिति में, अधिक चोट पहुँचाने तक विस्तारित नहीं होता है। बचाव के उद्देश्य से जितनी हानि पहुँचाना आवश्यक है, उससे अधिक हानि पहुँचाना। धारा 100 में प्रावधान है कि शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, पिछली धारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन, स्वेच्छा से हमलावर की मृत्यु या कोई अन्य हानि पहुँचाने तक विस्तारित है, यदि वह अपराध जो अधिकार के प्रयोग का कारण बनता है, उसमें वर्णित किसी भी प्रकार का हो, अर्थात्, "पहला ऐसा हमला, जिससे उचित रूप से यह आशंका उत्पन्न हो कि अन्यथा मृत्यु हो जाएगी।" ऐसे हमले का परिणाम; दूसरा ऐसा हमला जिससे उचित रूप से यह आशंका उत्पन्न हो कि गंभीर चोट ऐसे हमले का परिणाम होगी"। स्वैच्छिक मृत्यु कारित करने तक विस्तारित निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा करने के लिए, अभियुक्त को यह दिखाना होगा कि ऐसी परिस्थितियां थीं जो यह आशंका करने के लिए उचित आधार पैदा करती थीं कि या तो उसकी मृत्यु होगी या उसे गंभीर चोट पहुंचाई जाएगी। इस संबंध में भार अभियुक्त पर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

75. भारतीय दंड संहिता की धारा 102 और 105 शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार के आरंभ और जारी रहने से संबंधित हैं। यह अधिकार अपराध करने के प्रयास या धमकी से शरीर को खतरे की उचित आशंका उत्पन्न होते ही आरंभ हो जाता है, भले ही अपराध न किया गया हो, लेकिन तब तक नहीं जब तक उचित आशंका न हो।

दूसरे शब्दों में, यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक शरीर को खतरे की उचित आशंका बनी रहती है।

76. जहाँ तक संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का संबंध है, जिसमें मृत्यु कारित करने तक का विस्तार है, वह दंड संहिता की धारा 103 के अंतर्गत आता है। ऐसा अधिकार तभी उपलब्ध होता है जब वह अपराध, जिसका किया जाना या करने का प्रयास, अधिकार के प्रयोग का कारण बनता है, सूचीबद्ध किसी भी प्रकार का अपराध हो, जैसे डकैती, रात्रि में गृहभेदन, किसी भवन में आग लगाकर उत्पात, चोरी, उत्पात या गृह-अतिचार। अतः उक्त प्रावधान लागू नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

77. धारा 104 में प्रावधान है कि धारा 103 में वर्णित अपराधों के संबंध में, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग अपराधी को मृत्यु के अतिरिक्त कोई भी क्षति स्वेच्छा से पहुँचाने के लिए किया जा सकता है। धारा 105 में आरंभ और संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार को जारी रखने का प्रावधान जो इस प्रकार है:

"105. सम्पत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना- संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति को खतरे की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है।

चोरी के विरुद्ध संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक अपराधी संपत्ति लेकर भाग नहीं जाता है या सार्वजनिक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर ली जाती है या संपत्ति वापस नहीं ले ली जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डकैती के विरुद्ध संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या क्षति या सदोष अवरोध कारित करता है या करने का प्रयास करता है या जब तक तत्काल मृत्यु या तत्काल क्षति या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है।

आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि करता रहता है।

रात्रि में गृहभेदन के विरुद्ध संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक गृहभेदन द्वारा शुरू किया गया गृह-अतिचार जारी रहता है।"

78. साक्ष्य अधिनियम की धारा 105, सबूत का भार प्रस्तुत करने वाले अभियुक्त पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार डालती है और साक्ष्य के अभाव में, न्यायालय के लिए उक्त अभिवचन की सत्यता या असत्यता का अनुमान लगाना संभव नहीं हो सकता। यद्यपि अभियुक्त द्वारा कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, फिर भी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षियों से आवश्यक सामग्री प्राप्त करके वह उक्त तथ्य को सिद्ध कर सकता है। वह अपनी तर्क को उपस्थित परिस्थितियों से भी स्थापित कर सकता है, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पता चल सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) सलीम जिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**,** एआईआर **1979** एससी **391** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-9 के माध्यम से कहा कि यह सच है कि अभियुक्त पर आत्मरक्षा की तर्क को स्थापित करने का भार अभियोजन पक्ष पर पड़ने वाले भार जितना भारी नहीं है और जबकि अभियोजन पक्ष को अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता है, अभियुक्त को दलील को पूरी तरह से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है और वह अभियोजन पक्ष के गवाहों की

प्रतिपरीक्षरण में उस तर्क के लिए आधार रखकर या बचाव पक्ष के साक्ष्य पेश करके केवल संभावनाओं की प्रबलता स्थापित करके अपने दायित्व का निर्वहन कर सकता है।

(18) अतः, यह स्पष्ट है कि भले ही अभियुक्तों द्वारा प्रकरण के विचारण की स्थिति में संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिवचन नहीं लिया गया हो, किन्तु, यदि वास्तव में, यह उनके पास उपलब्ध था, तो वे प्रकरण में प्राप्त संभावनाओं और परिस्थितियों के आधार पर अभिवाक उठा सकते हैं। यद्यपि अभियुक्त द्वारा कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है और अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षियों से आवश्यक सामग्री प्राप्त करके साक्ष्य भार का निर्वहन किया जा सकता है और इसे अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से सामने आने वाली परिस्थितियों पर विचार करके स्थापित किया जा सकता है या इसे केवल बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करके निर्वहन किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) वर्तमान प्रकरण में, स्वीकृत स्थिति यह है कि यिसुचरण और हस्तिमनी (अपीलकर्ताओं की मां) के बीच एक सिविल वाद लंबित था और संपत्ति पर दोनों ने दावा किया था। सिविल वाद के लंबित रहने के दौरान, पुलिस के कहने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 145 की कार्यवाही भी की गई और 17.10.2000 को पंजीकृत प्रकरण की सुनवाई उक्त मजिस्ट्रेट द्वारा 7.11.2000 के

लिए तय की गई थी। (ब. सा. -1), वासुदेव मंडावी (एसडीएम कोर्ट के रीडर) के साक्ष्य से पता चलता है कि 20.10.2000 को सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, जगदलपुर द्वारा सिविल वाद क्रमांक 82ए/98 में 30.9.2000 को पारित निर्णय की प्रति कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की गई थी, जिस पर मजिस्ट्रेट धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही को खारिज कर दिया। उक्त कार्यवाही में, मजिस्ट्रेट द्वारा यह निर्देश नहीं दिया गया था कि किस पक्ष को भूमि का कब्जा दिया जाना है। उन्होंने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पक्षकार क्रमांक 2 को मामले की खारिज करने की कार्यवाही, जो 20.10.2000 को हुई थी, के बारे में सूचित नहीं किया गया था। उन्होंने कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 20.8.2000, 27.9.2000, 17.10.2000 और 20.10.2000 को दर्ज किए गए आदेश-पत्रों की प्रतियों को प्रदर्श- डी-1 ए के रूप में प्रमाणित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(20) हस्तिमनी बाई की (ब. सा. -4), के रूप में परीक्षण की गई है। उन्होंने यह बयान दिया है कि ज़मीन उनके कब्ज़े में थी। आ. सा.-1, यिशुचरण के साक्ष्य में, पैरा-13 के अनुसार, यह भी आया है कि ज़मीन हस्तिमनी बाई के कब्ज़े में थी और घटना के दिन, उक्त ज़मीन पर वे फसल काट रहे थे। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तव में, ज़मीन पर हस्तिमनी (अभियुक्तों की माँ) खेती कर रही थीं और घटना वाले दिन, शिकायतकर्ता पक्ष ज़मीन पर खड़ी फसल काट रहे थे। हस्तिमनी (ब. सा. -4) के साक्ष्य में यह भी आता है कि जब उसे फसल की कटाई के बारे में पता चला, तो वह अपनी दो

बेटियों दयावती और रंजना के साथ खेत में गई क्योंकि आरोपी व्यक्ति घर में मौजूद नहीं थे, वे अपने काम पर गए थे (प्रकरण में अन्यत्र उपस्थिति का भी अभिवाक किया गया है), और उनके विरोध करने पर भी, उनके द्वारा उगाई गई फसल को परिवादी पक्ष द्वारा काटा जा रहा था और यिशुचरण और विश्वास ने गोपालू और कालीचरण से फसल ले जाने के लिए बैलगाड़ी लाने को कहा, जिस पर वे खेत से गए थे।

(21) स्वीकृत रूप से, खेत में कुछ भी नहीं हुआ और घटना खेत से डेढ़ से दो किलोमीटर दूर, यानी विल्सन की रेगिस्तानी ज़मीन पर हुई, जहाँ आरोपीगण ने मृतक पर हमला किया था। उस समय, फसल बैलगाड़ी में नहीं लादी गई थी और बैलगाड़ी को बस खेत में ले जाया जा रहा था, हालाँकि फसल ले जाने के लिए। सवाल यह है कि क्या उस स्थिति में, जब आरोपी व्यक्तियों ने मृतक पर खेत से डेढ़ से दो किलोमीटर की दूरी पर हमला किया था, तो निजी बचाव के लिए संपत्ति उपलब्ध थी। घटनास्थल से (वह खेत जहां कटाई चल रही थी) पर क्या कोई व्यक्ति मौजूद था और क्या यह सब रिकॉर्ड पर साबित हुआ ? प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसा अधिकार केवल खेत पर ही इस्तेमाल किया जा सकता था। यह अधिकार वास्तविक अपराधी/आक्रमणकारी के विरुद्ध उपलब्ध था, जो उस स्थान पर संपत्ति पर आक्रमण कर रहा था जहाँ संपत्ति स्थित थी, लेकिन उक्त अधिकार उस व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध नहीं था, जो उस स्थान से डेढ़ से दो किमी की दूरी पर था, जहाँ संपत्ति स्थित थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(22) इसके अलावा, वर्तमान प्रकरण में एक अन्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि अभियुक्तगण द्वारा अन्यत्र उपस्थिति का बचाव किया गया है और बचाव पक्ष के गवाह को पेश करके उनके द्वारा विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं कि वे घटना के समय मौजूद नहीं थे। इसलिए, वे संपत्ति की निजी रक्षा के अपने अधिकार पर पुष्टि नहीं कर सके। तर्क यह है कि यदि अन्यत्र उपस्थिति की दलील विफल हो जाती है, तो संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार के तहत संरक्षण दिया जाना चाहिए। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में हमारी स्वतंत्र जांच में, हम नहीं पाते हैं कि अभियुक्तों द्वारा कथित तरीके से ऐसा प्रयोग, कृषि क्षेत्र से 1.5-2 कि. मी. की दूरी पर घात लगाकर और मृतक पर हमला करके जब वह विवादित खेत में बैलगाड़ी ले जा रहा था, उनके पास उपलब्ध था। इसलिए, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क विफल हो जाता है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(23) जहां तक अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक का संबंध है, हस्तिमनी बाई (ब. सा. -4, आरोपी व्यक्तियों की मां) ने यह बयान दिया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनके बेटे कमलेश और सुरेश सुबह बुधरू इसाई के साथ मंचकोट जंगल से लकड़ी लेने गए थे और वे लगभग 4 बजे वापस लौटे थे। उनका तीसरा बेटा, आरोपी राजेश, मोतीराम रावत के खेत में मजदूरी के लिए गया था। उसका कार्य सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक थी। उनका चौथा बेटा अखिलेश, सुरेश सनवाल के घर काम करने गया था, जहां वह मासिक आधार पर

काम कर रहा था और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वह अपने खेत में मजदूरी का काम कर रहा था और वह लगभग 5 बजे घर वापस आया। उसका पांचवां बेटा शैलेश जगदलपुर गया था न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए अपने अधिवक्ता से मिलें। उसने अपनी परीक्षा में यह बयान दिया है कि घटना के समय उसके बेटे गाँव में मौजूद नहीं थे। उसने इस बात से इनकार किया है कि वह अपने बेटों को बचाने के लिए झूठा बयान दे रही है।

(24) बुदरू से ब. सा. - 5 के रूप में परीक्षण किया गया I उसने बताया कि अभियुक्त कमलेश और सुरेश जंगल में लकड़ी लेने गए थे, लेकिन मुख्य परीक्षा में ही उसने यह बयान दिया कि वे जंगल से लगभग 12 बजे दोपहर को लौटे थे। घटना लगभग 12 बजे दोपहर को हुई बताई गई है। इसलिए, उसकी गवाही के आधार पर, ब. सा. - 5 का यह साक्ष्य नष्ट हो जाता है कि संबंधित समय पर, ये दोनों अभियुक्त, अर्थात् कमलेश और सुरेश, गाँव में मौजूद नहीं थे। ब. सा. -5 के साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि वे गाँव में मौजूद थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(25) मोतीराम की ब. सा. -6 के रूप में परीक्षण किया गया उसने बताया कि आरोपी राजेश फसल काटने के लिए उसके खेत पर आया था और उसका खेत गाँव से 2 किमी दूर है। वे चार लोग थे और लगभग सुबह 8 बजे खेत पर गए थे। राजेश भी उनके साथ गया था। चूँकि कटाई का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वे लगभग

दोपहर 12 बजे गाँव लौटे। उसकी गवाही से भी यह स्थापित होता है कि राजेश लगभग दोपहर 12 बजे गाँव लौटा था।

(26) जहाँ तक अभियुक्त अखिलेश का संबंध है, ब. सा. -4 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह सुरेश सनवाल के घर काम करने गया था, लेकिन इस प्रकरण में सुरेश सनवाल का परीक्षण नहीं की गई है और चूँकि ब. सा. -4, हस्तिमनी बाई के बयान उसके तीन बेटों के बारे में अन्य बिंदुओं का खंडन करते हैं, इसलिए केवल उसकी गवाही के आधार पर यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता अखिलेश गाँव में मौजूद नहीं था, वह सुरेश सनवाल के घर काम करने गया था। इसी प्रकार, शैलेश के लिए, माँ ने कहा है कि शैलेश जगदलपुर में उनके अधिवक्ता से मिलने गया था, लेकिन इस तथ्य को स्थापित करने के लिए जगदलपुर के किसी व्यक्ति का परीक्षण नहीं की गई है और जिस आधार पर अभियुक्त अखिलेश के लिए माँ के साक्ष्य पर अविश्वास किया जा रहा है, उसे अभियुक्त शैलेश के लिए भी झूठा नहीं ठहराया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(27) इस प्रकरण की एक अनोखी विशेषता यह है कि संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रकरण में, जैसा कि हमारे समक्ष तर्क दिया गया है, अन्यत्र उपस्थिति का दावा भी किया जा रहा है। यह युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा, इस प्रकरण में गोपालू (अ. सा.-2), महेश (अ. सा.-5) और योगेंद्र (अ. सा.-6) नामक तीन चक्षुदर्शी साक्ष्य हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रश्नाधीन अपराध में अभियुक्तों

की संलिप्तता के बारे में कहा है और हमने उन्हें पूरी तरह विश्वसनीय माना है, इसलिए, इन तीन चक्षुदर्शी के साक्ष्य के आलोक में, और बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के आलोक में, जहाँ तक अन्यत्र उपस्थिति के दावे का प्रश्न है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क में भी कोई गुणागुण नहीं है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता।

(28) परिणामस्वरूप, हमें इस अपील में कोई सार नहीं मिला। अपीलकर्ताओं को दी गई दोषसिद्धि और दण्ड ठोस, विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्यों पर आधारित है, जिनमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील में कोई गुणागुण नहीं है, इसलिए यह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता /-
माननीय श्री एल.सी. भादू,
न्यायाधीश

हस्ता /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नही किया जाएगा। समस्त कार्यालीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित मन जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....Mrs. Ankita Shukla